# यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा–1(पी–2), ग्रेटर नौएडा
**Toll Free No. 18001808296** वेबसाइट : **www.yamunaexpresswayauthority.com**

पत्रांक : वाई.ई.ए./ भूलेख/343/2024 दिनांक : 09.07.2024

## सार्वजनिक सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 05.07.2024 के क्रम में निम्नलिखित भूमि का यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किया जाना प्रस्तावित हैः–

| चिन्हित पॉकेट का विवरण | पॉकेट के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम/गाटा | |
|---|---|---|
| प्रयोजन | ग्राम | गाटा संख्या |
| फिल्म सिटी | मौहम्मदाबाद खेडा | 412 व 416 |

1. यदि मूल काश्तकार की मृत्यु हो गई है तो उनके वारिसानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने व मूल काश्तकार का मृत्यु प्रमाण–पत्र, वारिसान प्रमाण–पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, हिस्सा दर्ज खतौनी की नकल, परिवार सदस्यता प्रमाण व शपथ–पत्र, अनुबंध पत्र, पहचान पत्र /आधार कार्ड व ब्यान आदि जमा करने पर RTGS/NEFT के माध्यम से वारिसानों के नाम Transfer किया जायेगा।
2. वर्तमान में काश्तकारों को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। काश्तकार सुसंगत पहचान पत्र जैसे – आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि व अन्य आवश्यक अभिलेख जैसे – शपथ–पत्र, अनुबन्ध पत्र आदि तैयार करा लें। बैंक खाते व प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों में काश्तकार का नाम एक समान होना चाहिए अन्यथा RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान में अड़चन आ सकती है। अतः बैंक खाते में नाम भी सही करा लें ताकि भुगतान में कोई अड़चन न आवें। तालिका में शामिल गाटा संख्या के काश्तकार उक्त अभिलेख 15 दिन से पूर्व ही प्राधिकरण में जमा करा दें ताकि उनकी समय से जाँच हो सके तथा भौतिक कब्जा सत्यापन उपरांत उनका भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से यथाशीघ्र कराया जा सके।
3. भूमि के अतिरिक्त प्रतिकर वितरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर सी०आर० सेल/तहसीलदार, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

**विशेष कार्याधिकारी**

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की ख़रीदफ़रोख़्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट **www.yamunaexpresswayauthority.com** देखें।